न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौमूं (जयपुर)

मु.न. 107 / 2017

उनवान

1. जगदीश प्रसाद पुत्र धन्नाराम, वर्ष, जाति बागड़ा, निवासी--ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

---प्रार्थी

बनाम

1. सेडूराम पुत्र ईश्वर यादव जाति यादव निवासी--ढाणी सीत्याली, ग्राम कालाडेरा तहसील चौमूं जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

--- अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, एल0 आर0 एक्ट</u>

निर्णय दिनांक– 10.12.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि वाके राजस्व ग्राम कालाडेरा तहसील चौमूं जिला जयपुर के हाल खसरा नं0 2846 रकबा 0.95 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.95 हैक्टेयर भूमि स्थित है जो प्रार्थी की रिकार्डेड खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि है जिस पर प्रार्थी बतोर खातेदार काश्त काबिज रहकर लगान सरकारी अदा कर काश्त कर बहेसियत मालिक स्वामी प्रत्येक प्रकार से उपयोग उपभोग कर प्रत्येक प्रकार से लाभ अर्जित करता चला आ रहा हैं।

प्रार्थी ने अपनी उक्त खातेदारी भूमि की सीमाओं पर कच्ची सीव अर्सा दराज पूर्व से कायम कर रखी है। जिसके अनुसार प्रार्थी मौके पर कदीमी समय से काबिज काश्त है। जिसके उपयोग उपभोग में पूर्व में अप्रार्थी संख्या 1 ने कोई दखल नही किया था किन्तु विगत कुछ समय से दीगर व्यक्तियो के बहकावे में आकर अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा मिथ्या आधारो पर मिथ्या सीमा विवाद उत्पन्न किया जाने लगा है।

उक्त प्रकार से अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा मिथ्या सीमा विवाद उत्पन्न किये जाने व प्रार्थी के उसकी उक्त खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग में दखल अन्दाजी उत्पन्न किये जाने के कारण से अप्रार्थी संख्या 1 के विवाद को समाप्त करने हेतु प्रार्थी के द्वारा विधिवत कार्यवाही की जाते हुए दिनांक 09.05.2017 को अप्रार्थी संख्या 2 के यहां अपनी उक्त वर्णित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2846 के [illegible] विधिवत रूप से आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर अप्रार्थी [illegible] अधिनस्थ सम्बन्धित पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का के द्वारा दिनांक 05.06.2017 को अप्रार्थी संख्या 1 व अन्य व्यक्तियो की मोजूदगी में प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2846 [illegible] सीमाज्ञान किया गया जिसके अनुसार मौके पर मोजूद सीमाएँ मुताबिक राजस्व नक्शे के व मोजूदा स्थिति के सही पाई गई जिसके बाबत अप्रार्थी संख्या 2 के अधिनस्थ सम्बन्धित पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का के द्वारा मौके पर ही फर्द मौका सीमाज्ञान बनाई गई जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व अन्य मोजूद व्यक्तियो के हस्ताक्षर भी करवाये गये जिनमें से अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी का पडोसी खातेदार काश्तकार व्यक्ति है। उक्त सीमाज्ञान के समय अप्रार्थी संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.12.27 17:33:56 IST
Reason: SelfAttested

व अन्य किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई आपति आज दिनांक तक जाहिर नही की गई। इस प्रकार उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 05.06.2017 अविवादित, स्वीकृत, प्रमाणित एवं अन्तिम है। जिसकी विश्वसनीयता पर कोई सन्देह नही किया जा सकता है।

उक्त प्रकार से प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 2846 का विधिवत रूप से अप्रार्थीगण की मोजूदगी मे सीमाज्ञान हो जाने व प्रार्थी की सीमा सही पाई जाने के उपरान्त हाल ही में दिनांक 05.09.2017 को पुनः अप्रार्थी संख्या 1 दीगर व्यक्तियो के बहकावे में आकर जबरिया मौके पर सीमाचिन्हो को खिसकाने का विधि विरूध रूप से प्रयास करने लगा तो प्रार्थी के द्वारा विरोध जाहिर करने पर अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी को सीमाचिन्हो को नष्ट करने, व खिसकाने की ऐलानियां धमकी दी गई जिस पर प्रार्थी के लिये यह प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करना लाजमी हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2846 वाके ग्राम कालाडेरा तहसील चौमू की सीमाओ पर मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 05.06.2017 के पत्थरगढी करने हेतु अप्रार्थी संख्या 2 को आदेशित किया जाकर पत्थरगढी करवाई जावे। तथा अप्रार्थी संख्या 1 को कोई दखल अन्दाजी प्रार्थी की खातेदारी भूमि में उत्पन्न करने हेतु आदेशित किया जावे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पेश करने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली आज प्रशासन गावों के संग अभियान कैम्प कोर्ट कालाडेरा में पेश हुई। प्रार्थी जरिये उपस्थित है। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित है अतः इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी आवेदित आराजीयात् के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का कानूनन हक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार चौमू के आदेश से दिनांक 05.06.2017 को पटवारी हल्का द्वारा करवाया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रा०पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रा०पत्र बाबत् पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौमू को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश / अपील विचाराधीन नही हो तथा मौके पर फसल न हो तो सीमाज्ञान दिनांक 05.06.2017 के अनुसार पत्थरगढी की कार्यवाही ... हो।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2021 को मेरे द्वारा ... न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.12.27 17:33:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौमू
(जयपुर)